

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 476/2026

Naresh S/o Shri Kanhaiyalal,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishnu Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, PP Mr. Arvind Balaut

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI
Order

02/02/2026

योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो चुका है, राजीनामा याचिका के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है । उनका यह भी निवेदन है कि अभी तक नतीजा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करें।

योग्य लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे राजीनामा के संबंध में अनुसंधान अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट तलब कर आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ।

योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि इस प्रकरण में अभियुक्त सुरेश को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा याची/अभियुक्त नरेश को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

चूंकि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। यह पत्रावली दो सप्ताह बाद को सूचीबद्ध की जावे। तब तक याची/अभियुक्त नरेश पुत्र कन्हैयालाल को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 01/2026 पुलिस थाना सलेमपुर, जिला दौसा में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J